बजट–महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय–नया रायपुर

क्रमांक 1157 /एल–2–2/2013/ब–4/चार, नया रायपुर, दिनांक 01/10/2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष ।

विषयः– वर्ष 2013–14 के बजट आबंटन की संसूचना ।

संदर्भः– वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 01/एल 6–1/2013/ब–4/चार, दिनांक 01 अप्रैल, 2013

———————

संदर्भित ज्ञापन द्वारा वर्ष 2013–14 के बजट आबंटन की संसूचना जारी की गई थी, जिसकी कंडिका 1.2.1 के अनुसार विभागों को वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 45% तथा निर्माण विभागों (लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) तथा वन विभाग के लिए 35% व्यय की सीमा निर्धारित की गई है ।

2– चालू वित्त वर्ष के प्रथम पांच माह में राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि **पूर्व में जारी आवंटन को शामिल करते हुए दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के लिए विभागों की व्यय सीमा बजट प्रावधान (मुख्य बजट + प्रथम अनुपूरक) की 75% की सीमा तक निर्धारित की जाए,** अर्थात् विभागों को प्रथम छमाही के लिए निर्धारित 45% की सीमा के अतिरिक्त 30% तथा निर्माण विभागों एवं वन विभाग के लिए निर्धारित 35% की सीमा के अतिरिक्त 40% राशि दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के लिए व्यय हेतु उपलब्ध होगी । अंतिम तिमाही (जनवरी–मार्च, 2014) के आवंटन के लिए पृथक् से निर्देश जारी किये जाएंगे।

3– जिन विभागों को पूर्व में प्रथम छमाही हेतु निर्धारित उपरोक्त सीमा से शिथिलीकरण प्रदान करते हुए बजट प्रावधान के 75% से अधिक व्यय की सहमति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है, उनके लिए पैरा 2 में उल्लेखित प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् उन मदों में छूट की सीमा यथावत् रहेगी।

(डी.एस.मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग